

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत पीपलीनगर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत पीपलीनगर

प्रकरण सं. - 30/2014 प्रा.प.

निर्णय दिनांक - 18 जून, 2015

1. श्री हजारीसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
2. श्री रामसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
3. श्री देवीसिंह पिता गणेशसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
4. श्रीमति मगु बेवा गणेशसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
5. श्री गोविन्दसिंह पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
6. लक्ष्मी पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
7. मोवनी पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
8. चन्दा पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
9. कमला पिता नोलसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
10. शेषा पिता दूदा जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता विजयसिंह जाति रावत निवासी पीपलीनगर तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पीपलीनगर पटवार हल्का पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमन्द के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की हाल जमाबन्दी खतौनी के अनुसार आराजी निम्न प्रकार है:-

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
4271	00	07	05	चाही 1 व जाव 1
4279	00	18	00	चाही 1 व जाव 1
4389	07	13	00	बंझड
4313	00	04	15	बंझड
कुल किता 4 रकबा 09 बीघा 3 विस्वा				

यह कि मौके पर विपक्षी को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है। अभी दिनांक 17.05.2014 को भी अंतिम बार विपक्षी संख्या 1 जो कि उक्त आराजियात का पडौसी है, के द्वारा लडाई झगडा भी किया गया जिस पर मौके पर मैंने व गांव के लोगो ने समझाया पूर्व में सीमा चिन्ह की जानकारी भी करवाई उसके बाद भी विपक्षी द्वारा नही मानने से तथा यह कहने से कि तुम ही पत्थरगढी करवा लो।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प पीपलीनगर में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4271, 4279, 4389, 4313 कुल किता 4 रकबा 09 बीघा 03 विस्वा भूमि के दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। निर्णय आज दिनांक 18.06.2015 को कैम्प पीपलीनगर में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीम, राजसमन्द
जिला राजसमन्द